संख्या–1244 / XXX(2) / 2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3– मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमायूँ (पौड़ी / नैनीताल),
उत्तरांचल।
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
5– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 21 मई, 2005

विषय–राज्याधीन सेवाओं / पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक–2 / 2001–53 (1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किया गया है।

2–समय–समय पर विभिन्न स्तरों से यह जिज्ञासाएं की जाती रही हैं कि विकलांग व्यक्तियों को तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में छूट अनुमन्य है या नहीं, इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है:–

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं / पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
2. अक्षम / विकलांग व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" तथा "ख" की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा समूह "ग" तथा "घ" की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(नृप सिंह नपलच्याल),
प्रमुख सचिव।

संख्या–1399/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3– मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमायूँ (पौड़ी/नैनीताल),
उत्तरांचल।
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
5– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 21 मई, 2005

विषय–राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के समय अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के समय अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत का आरक्षण शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2/2001–53 (1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा निर्धारित किया गया है।

2– राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाती रही है। समय–समय पर विभिन्न स्तरों से इन वर्गों/श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं की जाती रही हैं। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की अब वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' सेवाओं में और पदों पर रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1977

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व सैनिकों के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की अब वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' सेवाओं में और पदों पर रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1977 कही जायेगी।

(2) यह 6 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

(3) यह प्रारम्भ होने के दिनांक से [दस वर्ष][1] की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

2. परिभाषायें—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "संघ की सशस्त्र सेना" का तात्पर्य संघ की नौ-सेना अथवा वायु सेना से है और इसमें भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेना भी सम्मिलित हैं;

(ख) "अंगहीन भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य उस भूतपूर्व सैनिक से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में अंगहीन हुआ था;

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि (रैंक) में (चाहे योधक के रूप में अथवा अनायोधक के रूप में) कम से कम छः मास की अवधि के लिए लगातार सेवा की हो और (एक) दुराचरण अथवा अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त किये जाने से भिन्न रूप में, निर्मुक्त किया गया हो, अथवा निर्मुक्त होने तक रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया हो, या (दो) उपर्युक्त प्रकार से नियुक्त होने अथवा रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने का हकदार होने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के निमित्त छः मास से अनाधिक सेवा करनी पड़ी हो।

3. प्रवर्तन—यह नियमावली तृतीय श्रेणी और चतुर्थ की (अब वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ') समस्त, सेवाओं तथा पदों पर, चाहे वह लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधिक्षेत्रान्तर्गत हो अथवा नहीं, लागू होगी।

[2]4. रिक्तियों का आरक्षण—किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली तृतीय श्रेणी (अब वर्ग 'ग') और चतुर्थ श्रेणी (अब वर्ग 'घ') की सेवाओं और पदों की उतनी प्रतिशत रिक्तियाँ, जिसे शासन समय-समय पर निधारित करेगी, जिनके अंतर्गत ऐसी अस्थायी रिक्तियाँ भी हैं जिन्हें स्थायी किये जाने की संभावना हो तथा/अथवा जिनके एक वर्ष से अधिक चलते रहने की संभावना हो, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी जाने के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण का उपयोग प्रथमतः अंगहीन भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए किया जायेगा और यदि कोई ऐसी रिक्ति फिर भी बिना भरे रहे तो वह अन्य भूतपूर्व सैनिकों को दी जायेगी।

5. आयु तथा शैक्षिक अर्हता में शिथिलता—(एक) आयु० आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए किसी भूतपूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने

---

1. विज्ञप्ति सं०-6/1/72-कार्मिक-2, दिनांक, 31-7-1981 (गजट में प्रकाशित दिनांक 16-1-82) द्वारा संशोधित व तुरन्त प्रवृत्त।
2. विज्ञप्ति सं०-6/1/72-कार्मिक-2, दिनांक, 4-8-1979 (गजट में प्रकाशित दिनांक 15-9-79) द्वारा संशोधित।

की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

दो शैक्षिक अर्हता—

(क) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधिक्षेत्रान्तर्गत सेवा अथवा पद के लिए आयोग के अधिक्षेत्रान्तर्गत तृतीय श्रेणी (अब वर्ग 'ग') की सेवाओं तथा पदों की आरक्षित रिक्तियों में केवल उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों का विचार किया जायेगा जो सम्बद्ध सेवा अथवा पद के निमित्त विहित अर्हतायें रखते हों।

(ख) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधिक्षेत्र बाह्य पदों के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से भिन्न रूप में भरी जाने वाली तृतीय श्रेणी की (अब वर्ग 'ग') सेवाओं तथा पदों की आरक्षित रिक्तियों में किसी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता जहाँ विहित अर्हता विश्वविद्यालय की डिग्री हो, वहाँ इन्टरमीडिएट तथा जहाँ विहित अर्हता इन्टरमीडिएट हो वहां हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। यदि विहित अर्हता हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता हो तो कोई शिथिलता नहीं दी जायेगी।

(ग) चतुर्थ श्रेणी के (अब वर्ग 'घ') पदों तथा सेवाओं के लिए चतुर्थ श्रेणी के (अब वर्ग 'घ') पदों पर तथा सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों में, भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए यदि वे अन्य प्रकार से उपयुक्त समझे जाएं, शैक्षिक अर्हता कोई बाधा न होगी।

6. **ज्येष्ठता तथा वेतन**—आरक्षित रिक्तियों में किसी भूतपूर्व सैनिक की ज्येष्ठता सम्बद्ध सेवा में अथवा पद पर प्रयोज्य भर्ती के सामान्य नियमों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

(2) **वेतन**—आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त किसी भूतपूर्व सैनिक को पहली बार नियुक्त किये जाने पर, सम्बद्ध पद पर अथवा सेवा के वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान मिलेगा।

7. **सेवा नियमों का संशोधन**—राज्य सरकार के अधीन, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की (अब वर्ग 'ग' और 'घ') सेवाओं में तथा पदों पर, व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले समस्त नियम, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन समझे जायेंगे और तदनुसार उनका अर्थ लगाया जायेगा।

टिप्पणी—इससे पूर्व विज्ञप्ति सं०-6/1/1972-नियुक्ति-4, दिनांक, 6-8-1973 द्वारा उ० प्र० (भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी 3 तथा 4 की सेवाओं में तथा पदों पर रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1973 प्रकाशित हुई थी।

50

शासनादेश सं० 7/4/1971-कार्मिक-2 दिनांक, 20 मई, 1978

विषय : राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु अक्षम व्यक्तियों की परिभाषा।

Subject : Definition of disabled person for appointment in service under the State.

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन समस्त सेवाओं में अक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या 43/90/66-नियुक्ति-4, दिनांक 18 जुलाई, 1972 में 2 प्रतिशत के आरक्षण का प्राविधान किया गया था। तदोपरांत शासनादेश संख्या 7/1/1970, नियुक्ति-4 दिनांक 3 जनवरी, 1973 में अक्षम व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश संख्या 2003/चालीस राष्ट्रीय एकीकरण 6-11-77, दिनांक 20 अँगस्त, 1977 में पुनः अक्षम व्यक्तियों के लिये राज्याधीन समस्त सेवाओं में 2 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है।